उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांक : 18827-31/ऋण/एनबीसीएफडीसी/2016–17 दिनांक: 02-03-2017

समस्त शाखा प्रबन्धक
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– एन0बी0सी0एफ0डी0सी0 योजनान्तर्गत ऋण वितरण हेतु धन मांग।

कृपया प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या सी–16/ऋण/एनबीसीएफडीसी/धनमांग/2015–16 दिनांक 04.06.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा एनबीसीएफडीसी की विभिन्न योजनाओं में ऋण वितरण हेतु प्रधान कार्यालय से धन मांग करने के सम्बंध में प्रारूप प्रेषित करते हुए निर्देश दिये गये हैं।

इन विशेष योजनाओं में प्रधान कार्यालय से शाखाओं द्वारा ऋण वितरण हेतु धन मांग की समीक्षा करने पर पाया गया कि अधिकांशतः शाखाओं द्वारा सम्बंधित पत्रावलियां पूर्णतः तैयार न होने के बावजूद धन की मांग कर ली जाती है और शाखा पर सुसुप्त अवस्था में धनराशि पड़ी रहती है, जिससे बैंक को ब्याज के रुप में आर्थिक क्षति होती है। आप यह भली–भांति जानते है कि इन विशेष योजनाओं में एनबीसीएफडीसी, नई दिल्ली से वित्तीय सहायता/ऋण लेकर ऋण वितरण किया जा रहा है। बैंक एवं एनबीसीएफडीसी के मध्य निष्पादित अनुबन्ध एवं शर्तों के अनुसार अवितरित धनराशि पर बैंक द्वारा एनबीसीएफडीसी को ब्याज दिया जाता है।

अतः आपको कठोर चेतावनी के साथ निर्देशित किया जाता है कि इन विशेष योजनाओं में ऋण वितरण हेतु धन की मांग प्रधान कार्यालय से करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्बंधित ऋण पत्रावलियां पूर्णतः ऋण वितरण हेतु तैयार हैं और सम्बंधित ऋण लाभार्थी को ऋण स्वीकृति पत्र जारी कर दिये गये हैं। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि इन विशेष योजनाओं में ऋण वितरण हेतु कोई भी धनराशि सुषुप्त अवस्था में शाखा पर न रहे यदि किन्हीं कारणवश ऋण वितरण न हो तो सम्बंधित धनराशि तत्काल लेखा–अनुभाग को प्रेषित करते हुए सूचना विवरण सहित लेखा अनुभाग एवं ऋण अनुभाग को प्रेषित की जाये।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इन विशेष योजनाओं में ऋण वितरण हेतु प्रधान कार्यालय से धनराशि की मांग बैंक मुख्यालय के परिपत्र संख्या सी–16 दिनांक 04.06.2015 के साथ प्रेषित निर्धारित प्रारुप पर की जाए साथ ही उक्त प्रारुप के पत्र यह भी उल्लेख किया जाये कि इस मद में कोई भी धनराशि शाखा पर उपलब्ध नहीं है और सम्बंधित ऋण लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र जारी कर दिये गये हैं। पुनः निर्देशित किया जाता है कि इन विशेष योजनाओं में वसूली धनराशि तथा सामान्य ऋण वितरण हेतु प्राप्त धनराशि से ऋण वितरण कदापि न किया जाय, केवल सन्दर्भित योजनाओं में प्रधान कार्यालय से प्राप्त धनराशि से ही किया जाय। साथ ही इन विशेष योजनाओं में ऋण वितरण हेतु बैंक मुख्यालय से प्राप्त धनराशि ,वसूली एवं प्रधान कार्यालय प्रेषित की गयी धनराशि, का विवरण जनरल–लेजर में अलग–अलग मदवार रखा जाना सुनिश्चित किया जाय।

02.03.17

(आर0 बी0 गुप्ता)
मुख्य महा प्रबन्धक(प्रशा0/ऋण)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डलीय/जनपदीय,पर्यवेक्षक,उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
2. समस्त योजनाधिकारी, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय,लखनऊ।
3. वैयक्तिक सहायक, (प्रबन्ध निदेशक) उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय,लखनऊ को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
4. उप महा प्रबन्धक(कम्प्यू0) उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0,लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि बैंक की शाखाओं के ई–मेल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. प्राचार्य, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।

02/03/17

(के0 बी0 लाल)
सहायक महा प्रबन्धक (ऋण)